## राजस्थान सरकार प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान

डब्ल्यू-6,रेजीडेंसी रोड(गौरव पथ) जोधपुर

क्रमांक : एफ3() प्राशिमं/भण्डार/ श्रमिक/2021/ 🔰 🕉 0

दिनांकः 16 3/2021

# खुली निविदा सूचना संख्या 10/2020-21

मण्डल की गोपनीय शाखा के निर्देशानुसार उत्तर पुस्तिकाओं के रख-रखाव व अन्य कार्य कराने व सामयिक मांग अनुसार अनुमानित वार्षिक लागत 5:00 लाख हेतु दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 30.03.2021 को दोपहर 12.30 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते राज्य पोर्टल http://Sppp.rajasthan.gov.inएवं विभागीय वेब साइट Website. techedu.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।

UBIN: TED 2021SS OB 000 47

(अंशु सहगल) संयुक्त निदेशक एवं सचिव प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान

जोधपुर 342001

# Government of Rajasthan

# Board of Technical Education Rajasthan W-6, Gaurav Path, Residency Road, Jodhpur Tender Document for "To Engage labour for handling of Answer Books & other

Works as per direction of Confidential Section"

Under Notice No. 10/2020-21/

Due on 30-3-21

# **Tender Documents**

S. No.	Particular	Page No.
1	Summary of Document	1
2	Check List	2-3
3	SR-14 & Special Conditions	4
4	Tender Form (SR-15)	5
5	Conditions of Tender and contract (SR-16)	6-7
6	Annexure A B C D E F G & SR Form 17	8-20
7	Technical Bid  Annexure 'H'	21

Can

# BOARD OF TECHNICAL EDUCATION JODHPUR, RAJASTHAN $\underline{\mathsf{CHECK\;LIST}}$

Name of FIRM		
Name of FIRM	Tender No	

	1		
S. No.	Particulars	Enclosed	Page No.
01	Tender Fees	DD No date	
02	E.M.D.	DD No date Amount Rs	
03	Tender Processing Fees (RISL)	DD No date Amount Rs	
04	GST Registration No.	YES / NO	
05	Registration Certificate	YES / NO	
06	Declaration by the Tenderers (Annex. B)	YES / NO	
07	PAN Card	YES / NO	
08	Turnover, Audited Balance Sheet & P&L A/c Note: if available	2019-20       Rs.       YES       NO         2018-19       Rs.       YES       NO         2017-18       Rs.       YES       NO    Average Annual Turnover Rs.	
09	Experience of Labour Work Note : If available	Order no: Date NO: Order no: Date NO: Order no: Date NO:	

Signature of Tenderer

Jan

## कार्यालय उपयोग के लिये

1. निविदा की जांच की गई सही पाया गयी / कमियां पाई गई।

1.

2.

3.

4.

लेखाकार

2. निविदा प्रपत्र खोलने / नहीं खोलने का निर्णय लिया गया।

निविदा कमेटी के सदस्य

01.

02.

03.

04.

05.

fa m

#### राजस्थान सरकार

### प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान

डब्ल्यू-6,रेजीडेंसी रोड(गौरव पथ) जोधपुर

क्रमांक : एफ3() प्राशिमं/भण्डार/ श्रमिक/2021/

दिनांकः

# खुली निविदा सूचना संख्या 10/2020-21

मण्डल में निम्नलिखित कार्य अनुबन्ध आधार पर दैनिक पारिश्रमिक दर पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत गैर सरकारी संगठन जो इस प्रकार की सेवायें प्रदान करने हेतु अधिकृत

है / पंजिकत है से महरबन्द खली निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा संख्या	निविदा का	अनुमानित		निविदा	निविदा	निविदा	निविदा	निविदा
ानावदा सख्या	नाम	लागत (लाख)	राशि	शुल्क	प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि	प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	की तकनीकी बिड खोलने की तिथि	की वित्तिय बिड खोलने की तिथि
10 / 2020-21	गोपनीय शाखा में निर्देशानुार उत्तर पुस्तिकाओं का रख रखाव व अन्य कार्य हेतु श्रमिक नियोजित करना।	5.00	10,000	200	30.3.21 11.00AM	30.3.21 12.30 PM	30.3.21 3.00 PM	30.3.21 4.00 PM

शर्ते :-

- 1. निविदा दो चरणों में एक साथ प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम तकनीकी बिड एवं द्वितीय वित्तिय बिड। संलग्न परिशिष्ट "अ" के साथ तकनीकी बिड पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में सफल होने वाली निविदादाता की वित्तिय बिड परिशिष्ट "ब" खोली जायेगी। दो अलग—अलग लिफाफों में तकनीकी / वित्तिय बिड लिखकर प्रस्तुत किये जायेगें।
- अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा को रद्ध करने अथवा अस्वीकार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 3. निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर मुहर सिहत हस्ताक्षरित प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु निविदा शुल्क एवं धरोहर शुल्क के डी.डी. नियत समय से पूर्व कार्यालय में प्राप्त होने आवश्यक है।
- 4. निविदा की विस्तृत शर्ते राज्य सरकार के पोर्टल http://Sppp.rajasthan.gov.in विभाग की Website. techedu.rajasthan.gov.in.पर अवलोकन की जा सकती है।

संयुक्त निर्देशक एवं सचिव

an

# राजस्थान सरकार प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान डब्ल्यू-६.रेजीडेंसी रोड(गौरव पथ) जोधपुर

1.	सेवा क	ा नाम :- गोपनीय शाखा में निर्देशानुसार उत्तर अन्य कार्य हेतु श्रमिक नियोजित करन	पुस्तिकाओं का रख रखाव व
2.	निविदा	प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम,	
	पता व	मोबाईल नम्बर :	
3.	पंजीकर	ण का विवरण :	
4.	पैन का	र्ड संख्या :	
5.	निविदा	शुल्क की राशि जमा का विवरण :	
6.		राशि जमा का विवरण :	
7.	प्रोसेसिंग	(RISL) शुल्क :-	NIL
8.	निम्नलि	खित सेवा हेतु कर सहित दर निम्न प्रकार से होगी (	
	में दर्शाव		(4)
	क्र.सं.	सेवा का विवरण	दर
	1.	उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों/अन्य सामग्री को	
		निदेशानुसार व्यवस्थित रूप से रखना / उतारना ।	
	2.	उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डलों / अन्य सामग्री को	
		परिवहन हेतु लोडिंग / अनलोडिंग करना।	
	3.	निर्देशानुसार सामग्री की पैकिंग करना, खोलना व	
		अन्य कार्य जो सौंपे जावे।	
9.	फर्म द्वार	ा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों के परिचय पत्र/आधा	र कार्ड की पनि जमा करना
	पा जाय		
10.	दरें विति	तय वर्ष 2021—2022 की अवधि हेतु मान्य है, इसे	थाएमी महमहि से की सार
	हेतु आगे	बढाई जा सकती है।	जानता तल्नात त तान नाह
11.	कुल 5 प्र	तिशत धरोहर राशि कार्य आदेश के सात दिवस में उ	तमा क्या दी जागेगी।
12.	श्रमिक व	पवरथा करने में सक्षम होने का घोषणा पत्र बिड के	माश मंद्राच का निमा सम
	है।	41411 47 146 47	ताय तलान कर दिया गया
3.	प्रारूप ए	प्त.आर. 17 में रूपये 500 / — के स्टाम्प पर अनुबन्ध प	पत्र निष्पादित करा दूंगा।
			0.0

हस्ताक्षर निविदादाता

#### राजस्थान सरकार

### प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान

डब्ल्यू-6,रेजीडेंसी रोड(गौरव पथ) जोधपुर

# खुली निविदा सूचना संख्या 10/2020-21 निविदा की सामान्य शर्ते

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के

अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हक होगें।

 संवेदक द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन की सेवायें यदि 4 घन्टे से कम दी जाती है तो ऐसे दिनों के लिए मजदूरी की गणना अनुमोदित दरों की 50 प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।

4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा एवं इसका विवरण प्रत्येक माह संवेदक द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। इसकी संतुष्टी उपरांत आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।

5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रमिकों को संवेदक द्वारा बढी हुई दर से अन्तर राशि

का भुगतान करना होगा।

- 6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार नियोजित श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। इसमें श्रमिक एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा प्रत्येक माह जमा अंशदान के चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिससे उपापन का विवरण हेल्पलाईन नम्बर, शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होगें।
- 8. समस्त करों का दायित्व संवेदक का होगा। मजदूरी पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी। संवेदक द्वारा प्रतिमाह जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

9. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं जारी दिशा निर्देश की पालना करने का दायित्य संवेदक का होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिन पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों को हटाने, नोटिस वेतन, मुआवजा आदि देने का

उत्तरदायी संवेदक का होगा।

- 12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कारित घटना के लिए किसी प्रकार की क्षितिपूर्ति / मुआवजा देने / ई.एस.आई कराने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने आदि की जिम्मेवारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 13. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने का कोई प्रकरण पाये जाने पर उपापन संस्था अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को सूचित करेगी तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को विविर्जित (Debar) करने की कार्यवाही करेगी।

14. मण्डल द्वारा समय समय पर सेवा प्रदाता को मांग अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम रूप से सूचित किया जायेगा एवं उसी के अनुरूप सेवा प्रदाता द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।

15. श्रमिकों का कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से 6:00 बजे सांय तक कार्य समय रहेगा परन्तु आवश्यकता होने पर श्रमिकों का राजपत्रित अवकाशों में भी बुलाया जा सकता है।

16. श्रमिकों की उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत दैनिक दर के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।

17. नियोजित श्रमिकों को कार्य के दौरान पूर्ण गोपनीयता बनाये रखनी होगी।

18. सफल निविदादाता निर्देशानुसार श्रमिक व्यवस्था उपलब्ध कराने में असफल रहने पर उसे मण्डल के किसी कार्य में भाग लेने हेतु दो वर्षों के लिए वंचित कर दिया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त उसकी जमा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकेगी।

19. किसी श्रमिक की सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चैतावनी दी जायेगी एवं फिर भी सुधार नहीं होने पर वह 25 प्रतिशत तक कटौति के आदेश दे

सकेगा।

20. धरोहर राशि रूपये 10,000/— एवं निविदा शुल्क रूपये 200/— के डी.डी. सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर के नाम से बनाये जाकर नियत समय तकनीकी बिड के

साथ प्रस्तुत किये जायेगें।

21. किसी प्रकार की जानकारी हेतु मण्डल कार्यालय की ई—मेल bter.jodhpur@gmail.com पते पर लिखा जा सकता है, अथवा कार्यालयाध्यक्ष श्री विकल रूप राय के मोबाईल नम्बर 9414243805 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

far

#### COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall -

- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
- f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
- g) disclose conflict of interest, if any and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **CONFLICT OF INTEREST:**

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to :

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as

## engineer-in charge/consultant for the contract

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Car

### **ANNEXURE-B**

# **DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS**

	In relation to my/our Bid submitted to in response to their notice inviting B	for procurement of
I/We	hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in	Public Procurement Act, 2012, that;
01.	I/we possess the necessary professional, technical, fin competence required by the Bidding Document issued by t	nancial and managerial resources and he Procuring Entity;
02.	I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the t Government or any local authority as specified in the Biddi	axes payable to the Union and the State ng Documents;
03.	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or bei administered by a court or a judicial officer, not have my/of the subject of legal proceedings for any of the foregoing re	our business activities suspended and not
04.	I/we do not have, and our directors and officers not have related to my/our professional conduct or the making of to my/our qualifications to entire to a procurement of preceding the commencement of this procurement disqualified pursuant to debarment proceedings;	false statements or misrepresentations as contract within a period of three years
05.	I/we do not have conflict of interest as specified in the Accommaterially affects fair competition;	t, Rules and the Bidding Document, which
	Date:	Signature of Bidder
	Place :	Name :
		Designation :
		Address:

#### **GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS**

The Designation and address of the First Appellate Authority is Secretary, BTER, W-6 Residency Road, Jodhpur.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, BTER, W-6, Residency Road, Jodhpur.

#### 01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### 04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### 05. Form of Appeal

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

Car

- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

#### 06. Fee of filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### 07. Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
  - (i) here all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the perties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date :	Signature of Bidder
Place :	Name :
	Designation:
	Address:

#### FORM No.1 [See rule 83]

# MEMORANDUM OF APPEAL UNDER THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 Appeal No. ..... of ..... Before the ...... (First/Second Appellate Authority) 01. Particulars of appellant: Name of Appellant: Official address, if any: (ii) (iii) Residential address: 02. Name and address of the respondent(s): (i) (ii) (iii) 03. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the act by which the appellant is aggrieved: 04. If the Appellant proposes to be represented by a representatives, the name and postal address of the representative: 05. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: 06. Ground of appeal: (supported by an affidavit) 07. Prayer:

Place : .....

Date : .....

lan

Appellant's Signature

#### ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

#### 01. Correction of arithmetical errors:

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.
- 03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods):

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more

Can

Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date : Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

## "DECLARATION BY THE TENDERERS" (S.R. 11)

If, this Declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, My/Our Security may be forfeited in full and the Tender if any to the extent accepted may be cancelled.

SIGNATURE OF THE TENDERER
With seal and designation

ANNEXURE- F

## "G.S.T DECLARATION"

## (if applicable)

I, Certify that the goods on which G.S.T. has been charged have not been exempted under the G.S.T. or the Rules made there under and the amount charged on account of Sales. Tax is not more than what is payable under the relevant provisions of the G.S.T. Act or the Rules made there under.

	Certify	that	we	M/s	
are	registered a	s Manufa	acturer ir	the	(State or Union Territory)
und	er Sales Tax	/VAT Regi	istration	No	

SIGNATURE OF THE TENDERER
With seal and designation

far

## Annexure- G

# REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) / NATIONAL ELECTRONIC FUND TRANSFER (NEFT)

From: M/s. .....

To,

Board of Technical Education Rajasthan, Jodhpur.	
Sub:- RTGS / NEFT Payments.  We refer to remittance of our payments.	nts using RBI's RTGS/NEFT. Our payments
may be made through the above system to o	our under noted account at our cost :-
Name of Firm	
Full Address	:
Mobile Number	:
mail ID for Payment Information	:
PAN Number	:
Bankers Name	:
Branch Name	:
9 Digit Code of Bank (Appearing on the MICR Cheque issued by the Bank	:
Account Type with Code	:
Account Number (as appearing on Cheque Book)	
IECC Code for PTCS	

Signature of supplier with Stamp & Address

Can

# परिशिष्ट - (अ)

# तकनीकी बिड

1. बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण आदि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा :--

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970		ल	ागू नहीं	
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)				
5	आयकर पेन नम्बर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2.	कार्य अनुभव का विवरण (संलग्न)	
3.	संवेदक की वित्तिय स्थिति का विवरण (संलग्न)	
4.	बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम मय IFSC कोड (संलग्न)	
5.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण की प्रति (संलग्न)	
6.	धरोहर राशि जमा का विवरण (संलग्न)	
7.	निविदा शुल्क जमा का विवरण (संलग्न)	

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

Man

#### अनुबन्ध पत्र

#### —: बहक :—

आप संयुक्त निदेशक एवं सचिव, कार्यालय प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर जिसे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, के हक में निम्न प्रकार से तहरीर व तकमीलल कर निष्पादित कर देता हूँ कि :-

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार द्वारा अपनी एजेन्सी / कम्पनी के नाम से मैन पॉवर सप्लाई का व्यवसाय करती है तथा प्रथम पक्षकार सरकारी विभागों / कम्पनीयों / संस्थाओं से टेन्डर / निविदा प्राप्त करके उन्हें अपने

मैन पॉवर सप्लाई करने की सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती है।

2.

4.

यह है कि मुझ प्रथम पक्षकार ने आप द्वितीय पक्षकार द्वारा दिये गये निविदा / टेन्डर के तहत बोर्ड में श्रमिक कार्य करवाने के लिये ठेका लिया है जिसके तहत प्रथम पक्षकार द्वारा अपने श्रमिक कर्मचारी आपके बोर्ड कार्यालय में कार्य करवाकर उसके नियमित एवं विभागीय नियमों के तहत कार्य करवाने के लिये कर्मचारी नियुक्त करेगा जिसके लिये प्रथम पक्षकार द्वारा लगाये जाने वाले कर्मचारी को विभाग में निम्नानुसार शर्तों के तहत कार्य करना होगा जो इस प्रकार है :-

## निविदा की शर्ते

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बंधित संवेदक का होगा।

संवेदक द्वारा उपलब्ध मानव संसाधन की सेवायें यदि 04 घण्टे से कम दी जाती है तो ऐसे दिनों के

लिए मजदूरी की गणना अनुमोदित दरों की 50 प्रतिशत के अनुसार की जायेगी।

3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा एवं इसका विवरण प्रत्येक माह संवेदक द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा इसकी संतुष्टी उपरान्त आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।

श्रमं विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जायेगा, न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रमिकों को संवेदक द्वारा बढी हुई दर से अन्तर राशि का भुगतान करना होगा।

5. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की दरों के अनुसार नियोजित श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा। इसमें श्रमिक एवं संवेदक का अंशदान शामिल होगा संवेदक द्वारा प्रत्येक माह जमा अंशदान के चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। जिसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

6. संवेदक द्वारा कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिससे उपापन का विवरण हेल्पलाईन नम्बर,

शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित होगें।

7. समस्त करों का दायित्व संवेदक का होगा। मजदूरी पर जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगी। संवेदक द्वारा प्रतिमाह जी.एस.टी. का भुगतान किया जायेगा। जिसके प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति उपापन संस्था को प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पुष्टी उपरान्त आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

8. केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं एवं जारी

दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा।

9. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुरूबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से एवं निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. नियोजित श्रमिकों को 240 दिन पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों व अनुसार श्रमिकों को हटाने, नोटिस वेतन मुआवजा आदि देने का उत्तरदायी संवेदक का होगा।

101

11. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कारित घटना के लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति / मुआवजा देने / ई.एस.आई. कराने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने आदि की जिम्मेवारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होने का कोई प्रकरण पाये जाने पर उपापन संस्था अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को सूचित करेगी तथा आवश्यकता होने पर संवेदक को विविर्जित

(Debar) करने की कार्यवाही करेगी।

लिहाजा यह इकरारनाम का दस्तावेज मुझ प्रथम प्रक्षकार ने अपनी राजी खुशी, अक्ल होशियारी, बिना किसी नशे पते, पूर्ण तन्दरूस्ती की हालत में, सोच समझकर पढ सुनकर बिना किसी बहकावें में आये रूबरू गवाहान आप द्वितीय पक्षकार के हक में लिख दिया है जो कि सही एवं सनद रहें और वक्त जरूरत के काम में आवे।

इति दिनांक :

12.

द्वितीय पक्षकार

प्रथम पक्षकार

Con

साख --01

साख --02

# परिशिष्ट – (ब)

# वित्तिय बिड

1. बोलीदाता द्वारा निम्न तालिका के कॉलम संख्या 11 से 12 की पूर्ति की जायेगी :—

क्र.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों के मज श्रमिकों की श्रेणी	ि देय पारि दूरी दर से न्यूनतम दर	श्रमिक जो कि कम नहीं होग श्रमिकों की संख्या	न्यूनतम गि राशि प्रति माह एक श्रमिक	E.P.F दर 13% प्रति दिन	E.S.I दर 3.75 % प्रति दिन	G.S.T चार्ज	योग 4+7+ 8+9	सर्विस चार्ज	योग प्रति दिन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	गोपनीय शाखा में निर्देशानुार उत्तरपुस्तिकाओं का रख रखाव व अन्य कार्य हेतु श्रमिक नियोजितकरना।	अकुशल	225	आवश्यकता अनुसार	5850	29.25	7.99	40.50	302 .74		

योग	प्रतिदिन	कॉलम	12	अनुसार	शब्दों	में	
-----	----------	------	----	--------	--------	-----	--

हस्ताक्षर संवेदक

हस्ताक्षर

Par